

// आदेश //

रायपुर, दिनांक

क्रमांक/एफ-4-94/सात-1/2006 राज्य शासन विचारोपरांत एतद्वारा राज्य सख्तियोग विभाग नारायणपुर को औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु जिला जगदलपुर [बस्तर] तहसील नारायणपुर के ग्राम नारायणपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 1159 खसरा 29 '16 एकड़ में से 10 एकड़ भूमि प्रस्ताव अनुसार आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है। कृपया भूमि की प्रव्यक्ति एवं भू-भाटक की गणना वर्ष 2006-07 की साईड लार्डन के आधार पर राजस्व पुस्तक परीपत्र एफ-491 के प्रावधान के अनुस्यू करें तथा उसके अनुसार प्रव्यक्ति तथा भू-भाटक जमा करने के उपरांत ही पट्टे का निष्पादन करें। सामान्य शर्तों के अतिरिक्त पट्टे पर नीचे दिये विशेष शर्तें लागू रहेंगी :-

- 1/- भूमि के किसी भी उपयोग व उस पर किसी भी निर्माण के पूर्व सभी औपचारिकताएँ पूरी करनी होंगी एवं वांछित अनुमति, अनुमोदन एवं अनापीतियों संबंधित नगर निगम, नगर पालिका तथा ग्राम निकाय विभाग आदि से लेनी होगी।
- 2/- तीस वर्ष की लीज अवधि के पश्चात् पट्टे के नवीनीकरण पर विचार करते समय नियमानुसार वार्षिक भू-भाटक की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
- 3/- भूमि का उपयोग अन्य उपयोग के लिये नहीं होगा अन्यथा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर दी जायेगी या भूमि का पूर्ण बाजार मूल्य देय पेनाल्टी आदि के साथ किया जायेगा।
- 4/- भूमि या उसके किसी भाग या उस पर बने किसी भी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्तियों को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही विक्रय किया जायेगा, या किसी अन्य प्रकार से किसी अन्य उपयोग के लिये दिया/उपलब्ध कराया जायेगा।

52 15/3/2007

Signature of the official

Signature of the official
15/3/07
to complete the formality

निरन्तर-2

Signature of the official
2.10.2007

- 5/- यदि कभी भी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिये नहीं होता है या बाद में कभी बन्द कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों एवं संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जायेगी और आर्बिटीटयों को उसका मुआवजा देय नहीं होगा ।
- 6/- शासन के प्रतिनिधि अधिकृत व्यक्ति तथा कलेक्टर या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग हेतु तथा शर्तों के पालन का निरीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि एवं उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा ।
- 2/- आदेश जारी होने की तिथि से संस्था से प्रड्याणि की संपूर्ण राशि व भू-भाटक राशि छः माह के अन्दर जमा कराई जाये यदि निर्धारित अवधि तक प्रड्याणि व भू-भाटक जमा नहीं कराई जाती तो आर्बटन आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ विलियम कुपूर §

अवर सीचिव

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

पु0क0/सफ-4-94/सात-1/2006

रायपुर, दिनांक 22 FEB 2007

प्रतिनिधि:-


- 1/- विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी ।
- 2/- कलेक्टर, जिला जगदलपुर §बस्तर § छ0ग0
- 3/- ✓ सचिव, रामकृष्ण मिशन, नारायणपुर जिला बस्तर छ0ग0
की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

अवर सीचिव

छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

82-27

मांग भूमि
 रक. 9. 99x2/2 रेकॉर्ड
 90.00 एकड़ भूमि



ग्राम-नारायणपुर
 प.ह.नं.-12 नारायणपुर
 तह./स.नि.सं.-नारायणपुर
 जिला - नारायणपुर
 स्केल - 1/4000
 वर्ष - 2099/92
 सत्य प्रतिलिपि
 29/3/2012
 प.ह.नं. 18
 नारायणपुर

पृष्ठ सं. 1
 पुनः प्रयोग के लिये प्रेषित करने के लिये

दिनांक 20/03/2012

मानव संसाधन
 कृषि मन्त्री कार्यालय (आसानीय)

ग्राम	पंचायत	हस्ताक्षर	पता	श. प्र. म.	मार्गसंख्या	जिल्ला	मण्डल	ब्लॉक	ग्राम	पंचायत	मण्डल	जिल्ला	मण्डल	ब्लॉक	ग्राम	पंचायत	मण्डल	जिल्ला	मण्डल	ब्लॉक	ग्राम	पंचायत	मण्डल	जिल्ला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
प्रस्तावित विवरण आदि मार्गसंख्या आदि प्रतिस्थापन के लिये भूमि आदि		1,2,3,4,5	6,7,8,9	10,11,12	13,14,15	16,17,18	19,20,21	22,23,24	25,26,27	28,29,30	31,32,33	34,35,36	37,38,39	40,41,42	43,44,45	46,47,48	49,50,51	52,53,54	55,56,57	58,59,60	61,62,63	64,65,66	67,68,69	70,71,72

Developed By NIC

आवेदन संख्या 1348/ डे अड्डा
 विधिद्वारा जारी होगा
 कृषि अतिरिक्त

प्रतिष्ठित एवं कुल के प्रकाशक:
 नाम, पता, दिनांक :
 22-3-2012



प्रकाशक
 आसानीय

Form No. 1
 (For all types of applications for registration of land)

Date: 26/12/2012

फॉर्म नं.-1
 खसरा

पञ्जाब की राजस्व विभाग के अंतर्गत
 कानून नं. 54 के अंतर्गत की जायगी
 खसरा नं. 54 के अंतर्गत की जायगी

खसरा	पञ्जाब	खसरा नं.	स. नि. नं.	तहसील	जिला	खसरे की सीमा				खसरे के क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	खसरे का मालिक
						पश्चिम	उत्तर	पूर्व	दक्षिण		
12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345	12345

Developed by NIC

आवेदन क्रमांक 12345 के अनुसार
 सिविल कार्य के अंतर्गत
 जिला प्रशासन

प्रतिनिधि (पुणे वाले के असाधारण)
 नाम, पता
 26-12-2012



जिला प्रशासन
 जिला कार्यालय